विद्यार्थी-शिक्षकों के मध्य मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता का अध्ययन

बीना चौधरी *
टी.सी. पाण्डेय **

इस शोध पत्र में विद्यार्थी-शिक्षकों के मध्य मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता का अध्ययन दिया गया है। इस शोध हेतु उत्तराखण्ड राज्य में स्थित कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल से संबद्ध कॉलेजों/परिसरों में प्रशिक्षणरत 130 विद्यार्थी-शिक्षकों का चयन साधारण यादृच्छिक प्रतिचयन विधि द्वारा किया गया। विशाल सूद और आरती आनन्द (2014) द्वारा निर्मित व प्रमाणीकृत मानवाधिकार जागरूकता परीक्षण का प्रयोग किया गया। प्राप्त आँकड़ों की सार्थकता स्पष्ट करने हेतु वर्णनात्मक तथा अनुमानात्मक सांख्यिकी का प्रयोग किया गया। आँकड़ों के विश्लेषण के पश्चात् जेंडर, निवास-स्थान तथा परिवार के स्वरूप के आधार पर विद्यार्थी-शिक्षकों में मानवाधिकरों के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया।

सृष्टि के निर्माण के साथ ही मनुष्य ने अपना जीवन अर्थपूर्ण बनाने के लिए विभिन्न कर्तव्यों का निर्धारण किया, जिससे सभी मनुष्यों को अपने-अपने कार्य करने में सहजता होने लगी और इस प्रकार एक सामाजिक व्यवस्था का विकास होने लगा। धीरे-धीरे मनुष्य का सामाजिक दायरा बढ़ने लगा, जिसके साथ-साथ उसके दायित्व भी बढ़ने लगे, प्रारंभ में मनुष्य के कर्तव्यों का निर्धारण उसकी परिवार में स्थिति, जेंडर, समाज में उसके पद व आर्थिक स्थिति के आधार पर होता था। यह सामाजिक दृष्टि से आवश्यक भी था। प्रारंभ में जो व्यक्ति जैसा कार्य करता था, वह उसी वर्ग का माना जाता था। धीरे-धीरे कर्तव्यों की यह सामाजिक व्यवस्था कर्म प्रधान न होकर जन्म प्रधान होने लगी।

प्राचीन काल में समाज को मुख्यतः चार वर्णों— ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र में विभाजित किया गया था। ब्राह्मण का कर्तव्य विद्या प्रदान करना, क्षत्रिय का कर्तव्य प्रजा की रक्षा करना व युद्ध करना, वैश्यों का कर्तव्य आर्थिक व्यवस्थाओं को सुचारु रूप से चलाने के लिए व्यापार करना तथा शूद्रों का कर्तव्य सेवा करना बन गया। समाज में बनी इस वर्ण व्यवस्था से धीरे-धीरे लोगों में संघर्ष पनपने लगा। सशक्त व्यक्तियों द्वारा असहाय व दलित व्यक्तियों पर अत्याचार किए जाने लगे और इन्हीं अत्याचारों के विरोध ने मानव अधिकारों की नींव रखी। लोगों को जीवन में संघर्ष के दौरान समझ आने लगा कि समाज में अपनी स्थिति को बनाए रखने तथा उसमें

**सहायक अध्यापिका*, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, लोहाघाट, उत्तराखण्ड 262524
***असिस्टेंट प्रोफ़ेसर*, बी.एड. विभाग, एम.बी. राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हल्द्वानी, उत्तराखण्ड 263139

© NCERT not to be republished

निरंतर सुधार करने के लिए मात्र कर्तव्य ही पर्याप्त नहीं होते हैं, अपितु इन कर्तव्यों के साथ ही उनके पास मनुष्य होने के नाते कुछ अधिकार भी होने चाहिए जो सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए आवश्यक हैं।

एक व्यक्ति तब तक अपने अधिकारों का आनंद प्राप्त नहीं कर सकता जब तक वह दूसरों के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन न करता हो। अतः यह तो तय हो गया था कि कर्तव्य और अधिकार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कुछ अधिकार प्राप्त हैं। कोई भी धर्म, जाति, सम्प्रदाय या स्थान विशेष इन्हें प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता है। मानव अधिकार के सिद्धांत मनुष्यों द्वारा ही विकसित किए गए हैं, जिसमें मनुष्य की प्रतिष्ठा का उचित तथा समान रूप से सम्मान करने की प्रतिबद्धता होती है। मानवाधिकारों का अस्तित्व में होना ही इस बात को दर्शाता है कि प्रत्येक मनुष्य को दूसरे मनुष्य के जीवन का मूल्य समझना आवश्यक है। मानवाधिकारों की उत्पत्ति से संबंधित कई सिद्धांत हैं जिनमें प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत, अधिकारों की न्याय-संगतता का सिद्धांत, अधिकारों के सामाजिक कल्याण का सिद्धांत, अधिकारों का आदर्शवादी तथा ऐतिहासिक सिद्धांत प्रमुख हैं। मानवाधिकारों को नागरिक, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों में वर्गीकृत किया गया है। नागरिक व राजनैतिक अधिकार प्रथम पीढ़ी के मानवाधिकार हैं, जिन्हें नकारात्मक अधिकार भी कहा जाता है, क्योंकि ये अधिकार सरकार को ऐसे कार्य करने से मना करते हैं जिनके करने से इन अधिकारों का उल्लघंन होता हो। आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकारों को द्वितीय पीढ़ी के मानवाधिकार भी कहा जाता है, इन्हें नकारात्मक अधिकार भी कहा जाता है, क्योंकि ये अधिकार राज्य का सक्रिय हस्तक्षेप चाहते हैं, न कि राज्य की तटस्थता। इसके अतिरिक्त विकास का अधिकार तथा पर्यावरण के प्रति अधिकार भी हैं जिन्हें तृतीय पीढ़ी के अधिकार भी कहा जाता है (नसीमा, 2014)। ये अधिकार समय की माँग के अनुसार अस्तित्व में आए हैं।

द्वितीय विश्वयुद्ध के हिंसक परिणामों के बाद वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों की माँग निरंतर बढ़ने लगी। मानवाधिकारों के संरक्षण व संवर्द्धन के लिए वर्ष 1947 में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया तथा मानवाधिकारों से संबंधित अधिकारों को निर्धारित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय लेख पत्र का प्रारूप तैयार किया गया तथा इसी प्रारूप के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (1947) ने मानवाधिकारों के लिए एक अलग अनुबंध तैयार किया। इसी दस्तावेज़ को 'मानवाधिकार का अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध' कहा जाता है (अग्रवाल, 2014)। 10 दिसम्बर, 1948 में संयुक्त राष्ट्र की सामान्य महासभा ने मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र की स्वीकृति देकर इसकी घोषणा की। इसका उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति व समाज का प्रत्येक भाग इस घोषणा को लगातार दृष्टि में रखते हुए अध्यापन कार्य तथा शिक्षा के द्वारा यह प्रयत्न करेगा कि इन अधिकारों व स्वतंत्रता के प्रति सम्मान की भावना जाग्रत हो और उत्तरोत्तर ऐसे अधिकारों की सार्वभौमिक तथा प्रभावोत्पादक स्वीकृति दें और उनका पालन करवाएँ।

© NCERT not to be republished

वर्ष 1949 में, यूरोपीय परिषद् ने यह सहमति जताई कि मानवाधिकारों का शिक्षण पाठ्यचर्या का एक महत्वपूर्ण मुद्दा होना चाहिए। यूरोपीय परिषद्, 1981 के अनुसार, विद्यालय का सामाजिक परिवेश विद्यार्थियों को अन्य व्यक्तियों के अधिकारों को पहचानने, अपने व्यक्तित्व को भली-भाँति प्रस्तुत करने तथा अन्य व्यक्तियों के विचारों व संकल्पनाओं को प्रोत्साहित करने वाला हो। मानवाधिकार शिक्षा को पाठ्यचर्या में शामिल करने के लिए अमेरिका, जर्मनी आदि देश आगे आए। मानवाधिकार शिक्षा को पाठ्यचर्या में सम्मिलित करने हेतु विभिन्न देशों ने भिन्न-भिन्न निर्धारकों का चयन किया। मानवाधिकार से संबंधित सार्वभौमिक घोषणा पत्र में उल्लिखित अनुच्छेद 26 के अनुसार, 'शिक्षा मनुष्य के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास को दिशा प्रदान करने वाली तथा मौलिक स्वतंत्रता व मानवाधिकार के सम्मान को शक्ति प्रदान करने वाली होनी चाहिए। यह समस्त देशों के मध्य सहनशीलता, मित्रता व समझ को बढ़ावा देने वाली तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा शांति को बनाए रखने से संबंधित कार्यक्रमों को बढ़ावा देने वाली होनी चाहिए (नसीमा, 2014)।

यूनेस्को की अंतर्राष्ट्रीय सभा (1993) ने यह स्वीकार किया कि मानवाधिकार शिक्षा, भेदभाव, अन्याय, अनुचित व्यवहार, अलोकतांत्रिक व्यवहार, सांस्कृतिक मूल्यों का ह्रास, उत्पीड़न, बंधुआ मज़दूरी, मानवाधिकार के प्रति निरक्षरता तथा किसी भी स्तर पर मानवाधिकार की अवमानना से सुरक्षा प्रदान करने वाली होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र की सामान्य महासभा, 1994 ने 1 जनवरी, 1995 से वर्ष 2005 तक आने वाले अगले दस वर्षों को मानवाधिकार शिक्षा का दशक घोषित किया। महासभा में यह कहा गया कि मानवाधिकार शिक्षा मात्र सूचनाएँ देना नहीं है। यह जीवनपर्यंत चलने वाली विस्तृत प्रक्रिया है जिसमें विकास के प्रत्येक चरण में तथा समाज के प्रत्येक स्तर में लोग एक-दूसरे का सम्मान व आदर करें। अतः मानवाधिकार शिक्षा का तात्पर्य व्यक्तियों में उस भावना का विकास करना है, जहाँ पर वे मानवाधिकारों को समझ सकें तथा दूसरों के महत्व को आदर दे सकें।

मानवाधिकार भारतीय समाज के सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक जीवन का क्रमिक विकास है। पूर्वी देशों में रहने वाले व्यक्तियों के कर्तव्य पश्चिमी देशों में रहने वाले व्यक्तियों के अधिकारों के रूप में सामने आए। स्वतंत्रता के पश्चात् संविधान को रूप देने वाले लोगों ने पूर्वी तथा पश्चिमी, दोनों ही दर्शन को लेकर भारतीय राजनीति तथा भारतीय परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य से तालमेल बैठाते हुए मानवाधिकार के प्रत्ययों का समावेश संविधान में किया। हमारे संविधान के भाग तीन में व्यक्ति को मौलिक अधिकारों के रूप में कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं। 'मौलिक' शब्द दर्शाता है कि ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होने के साथ-साथ उनके व्यक्तित्व व आत्म विकास के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। मौलिक अधिकार साधारण अधिकारों से भिन्न होते हैं, क्योंकि किसी भी राज्य व प्रशासन द्वारा इन अधिकारों का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता है।

भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर के अनुसार, "मौलिक अधिकारों के उल्लिखित करने का उद्देश्य एक तो यह है कि प्रत्येक व्यक्ति इन अधिकारों का दावा कर सके और

© NCERT not to be republished

दूसरा यह है कि प्रत्येक अधिकारी इन्हें मानने के लिए विवश हो।" भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारों से संबंधित सार्वभौमिक घोषणा पत्र के अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध में वर्णित अधिकारों की भाँति निर्दिष्ट है। इन्हें 'निर्दिष्ट' इसलिए कहा गया है, क्योंकि ये मौलिक अधिकार संविधान में उनके नाम के द्वारा उल्लिखित किए गए हैं। तालिका 1 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारों के अनुबंध में वर्णित अधिकार तथा उनके अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध पत्र व भारतीय संविधान में उल्लिखित संबंधित अनुच्छेद दिए गए हैं।

नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध के समान ही आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों से संबंधित अनुबंध भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए हैं। जहाँ एक ओर नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए राज्य को कानून द्वारा बाध्य किया जा सकता है, वहीं दूसरी ओर आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों के प्रति कर्तव्य निभाने के लिए राज्य को बाध्य नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान में इन अधिकारों का वर्णन भाग 4 में किया गया है, जिन्हें राज्य के 'नीति निर्देशक तत्व' भी कहा जाता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व

तालिका 1 — अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध पत्र व भारतीय संविधान में उल्लिखित मानवाधिकारों से संबंधित अनुच्छेद (नागरिक व राजनैतिक अधिकारों के संदर्भ में)

क्र. सं.	अधिकार	नागरिक व राजनैतिक अधिकार संबंधी अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध पत्र में वर्णित अनुच्छेद	भारतीय संविधान में वर्णित अनुच्छेद
1.	बाल श्रम/बेगारी/जबरन मज़दूरी	अनुच्छेद 8(3)	अनुच्छेद (23)
2.	कानून के समक्ष समानता	अनुच्छेद 14(1)	अनुच्छेद 14
3.	भेदभाव का निषेध	अनुच्छेद 26	अनुच्छेद 15
4.	सेवाओं में समान अवसर	अनुच्छेद 25(C)	अनुच्छेद 16(1)
5.	भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता	अनुच्छेद 19(1) तथा (2)	अनुच्छेद 19(1) a
6.	शांतिपूर्ण सभाएँ करने की स्वतंत्रता	अनुच्छेद 21	अनुच्छेद 19(1) b
7.	संगठन बनाने की स्वतंत्रता	अनुच्छेद 22(1)	अनुच्छेद 19(1) c
8.	देश/राज्य के किसी भी भाग में आबाध रूप से भ्रमण करने की स्वतंत्रता	अनुच्छेद 22(1)	अनुच्छेद 19(1) d तथा e
9.	अभियोग तथा दण्डात्मक कार्यवाही के विरुद्ध सुरक्षा	अनुच्छेद 14(7)	अनुच्छेद 20(2)
10.	स्वयं के प्रति साक्ष्य देने के लिए बाध्य न करने का अधिकार	अनुच्छेद 14(3)(g)	अनुच्छेद 20(3)
11.	जीवन जीने तथा स्वतंत्रता का अधिकार	अनुच्छेद 6(1) तथा अनुच्छेद 9(1)	अनुच्छेद 21

स्रोत— अग्रवाल, एच.ओ. 2014. *इंटरनेशनल लॉ एंड ह्यूमन राइट्स*.

© NCERT not to be republished

मानवाधिकारों के ही अंग हैं, क्योंकि यह आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारों को पूर्णतः समाए हुए हैं। जिस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों के अनुबंध में अनुच्छेदों का वर्णन है, उसी प्रकार भारतीय संविधान में भी विभिन्न अनुच्छेदों के माध्यम से उपरोक्त अधिकारों का भी वर्णन किया गया है, जिसे तालिका 2 में दर्शाया गया है।

मानवाधिकार की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेमिनार तथा कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता रहा है। इन सेमिनार व कार्यशालाओं का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक स्थान पर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना होना चाहिए ताकि सार्वभौमिक रूप से मानवाधिकारों का अनुप्रयोग किया जा सके। वास्तव में, शिक्षा का उद्देश्य ही व्यक्ति की जागरूकता को बढ़ाना, प्रश्न पूछने के लिए साहस प्रदान करना तथा समस्याओं के समाधान के लिए प्रेरित करना है। शिक्षा का प्रारम्भिक लक्ष्य एक व्यक्ति को उसकी जीवन यात्रा शुरू करने हेतु मूलभूत रूप से ज्ञान, अभिवृत्ति, मूल्य व कौशल प्रदान करना है। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का एक साधन है। व्यक्ति मानवाधिकारों की शिक्षा प्राप्त कर, जागरूक होकर समाज में परिर्वतन करने में समर्थ हो सकता है। मानवाधिकारों की शिक्षा बिना किसी भेदभाव के व्यक्तियों की शिक्षा की वकालत करती है। विद्यालय में बच्चों को उनके अधिकारों की जानकारी देना तथा तदनुरूप व्यवहार करना सिखाया जाना चाहिए। अपने अधिकारों का संरक्षण व उनका सम्मान करना सिखाना ही अध्यापक का कर्तव्य होना चाहिए।

तालिका 2 — अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध पत्र तथा भारतीय संविधान में उल्लिखित मानवाधिकारों से संबंधित अनुच्छेद (आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों के संदर्भ में)

क्र. सं.	अधिकार	आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध में वर्णित अनुच्छेद	भारतीय संविधान में वर्णित अनुच्छेद
1.	समान कार्य के लिए समान वेतन	अनुच्छेद 7a(i)	अनुच्छेद 39(d)
2.	कार्य करने के लिए सुरक्षित तथा मानवीय दशाएँ	अनुच्छेद 7(b)	अनुच्छेद 42
3.	प्रसूति सहायता	अनुच्छेद 10(2)	अनुच्छेद 42
4.	काम पाने का अधिकार	अनुच्छेद 6(1)	अनुच्छेद 41
5.	बच्चों के लिए अवसर	अनुच्छेद 10(3)	अनुच्छेद 39(f)
6.	बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा	अनुच्छेद 13(2) (a)	अनुच्छेद 45
7.	जीवन निर्वाह मज़दूरी	अनुच्छेद 7(a) (ii)	अनुच्छेद 43
8.	पर्याप्त जीवन स्तर बनाए रखना	अनुच्छेद 11	अनुच्छेद 47
9.	कार्य की दशाएँ	अनुच्छेद 7(d)	अनुच्छेद 43
10.	बच्चों की शिक्षा का अधिकार	अनुच्छेद 13(1)	अनुच्छेद 21(a)

स्रोत — अग्रवाल, एच.ओ. 2014. *इंटरनेशनल लॉ एंड ह्यूमन राइट्स.*

© NCERT not to be republished

इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारत में मानवाधिकार से संबंधित शिक्षा की नींव 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा रखी गई। शिक्षक शिक्षा की पाठ्यचर्या के लिए प्रमुखता से जानी जाने वाली चट्टोपाध्याय समिति (1983) ने भी शिक्षक शिक्षा में मानवाधिकार की अनुशंसा की। समिति के अनुसार शिक्षक को शिक्षा के सामाजिक परिदृश्य के प्रति ज़िम्मेदार व संवेदनशील होना चाहिए। जिसके लिए शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम में कई आमूलचूल बदलाव लाए गए।

वर्ष 1986 में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के लागू होने पर विद्यालयी पाठ्यचर्या में मानवाधिकार शिक्षा को व्यापक स्थान दिया गया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, आज़ादी के लिए जन-जन का संघर्ष, गाँधीजी द्वारा चलाए गए मानवता की रक्षा से संबंधित आंदोलन, भारतीय संविधान जैसे महत्वपूर्ण प्रकरणों को सामाजिक विषय में स्थान दिया गया। संधारणीय विकास को बनाए रखने हेतु पर्यावरण संरक्षण, समानता व भेदभाव, सामाजिक बाधाओं, रीति-रिवाजों आदि से संबंधित मुद्दे जो मानवाधिकार से संबंधित हैं, उनका वर्णन यथोचित रूप से पाठ्यचर्या में किया गया। शिक्षक शिक्षा राष्ट्रीय आयोग ने क्रमशः वर्ष 1978, 1988, 1998, तथा 2009 में शिक्षक शिक्षा पाठ्यचर्या में अपनी अनुशंसाएँ दी हैं। मानवाधिकार शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय आयोग 1978 में कहा गया है कि अध्यापक शिक्षा बच्चों व उस समुदाय की आकांक्षाओं, आवश्यकताओं व जीवन के साथ जुड़ी होनी चाहिए जिससे वे जुड़े हुए हैं (एन.सी.टी.ई., 1978)। शिक्षा समाज में परिवर्तन का एक प्रमुख माध्यम है तथा शिक्षक द्वारा इस परिवर्तन को मूर्त रूप दिया जा सकता है। वर्ष 1988 में शिक्षक शिक्षा पाठ्यचर्या में कुछ उद्देश्य निर्धारित किए गए जो मानवाधिकार शिक्षा से जुड़े हुए थे। विद्यार्थी-शिक्षकों में विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से लोकतांत्रिकता, नागरिकता, सहनशीलता, दूसरों के प्रति समझ का विकास, सहयोग की भावना तथा सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता आदि गुणों का विकास किया जाना इत्यादि पाठ्यचर्या के प्रमुख उद्देश्य निर्धारित किए गए। इसके अतिरिक्त लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, वैज्ञानिक स्वभाव, समान अधिकार, सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरण का संरक्षण व नागरिकता की ज़िम्मेदारियों के प्रति सामाजिक, सांस्कृतिक व नैतिक मूल्य उन्मुखी शिक्षा को भी पाठ्यचर्या में अहम स्थान दिया गया (एन.सी.टी.ई., 1988)।

भारतीय संविधान में वर्णित राष्ट्रीय मूल्य व लक्ष्यों को प्रतिस्थापित करना, शिक्षकों की सामाजिक एकजुटता, बाल अधिकारों व मानवाधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय समझ व संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना तथा किसी भी पूर्वाग्रह व पक्षपात के प्रति शिक्षकों में तार्किक क्षमता का विकास करना आदि वर्ष 1998 में, शिक्षक शिक्षा की पाठ्यचर्या के प्रमुख बिंदु निर्धारित किए गए (एन.सी.टी.ई., 1998)। वर्ष 2009 व वर्ष 2014 की राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा पाठ्यचर्या में समाज की भाषागत, धार्मिक, जातिगत व वैयक्तिक विभिन्नता से संबंधित मानवीय मूल्यों के विकास पर ज़ोर दिया गया (एन.सी.टी.ई., 2009)। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तो मानवाधिकार शिक्षा, शिक्षक शिक्षा पाठ्यचर्या का एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है।

© NCERT not to be republished

अतः मानवाधिकारों की जागरूकता के संदर्भ में शिक्षा व शिक्षक शिक्षा पाठ्यचर्या की भूमिका के महत्व को देखते हुए इस शोध पत्र में विद्यार्थी-शिक्षकों के मध्य मानवाधिकार के प्रति जागरूकता का अध्ययन किया गया है।

अध्ययन की आवश्यकता

वर्तमान में, मानवाधिकारों के निरंतर हनन होने के कारण यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहस का विषय बना हुआ है। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस विषय से संबंधित कई आयोग बने हुए हैं जो इनसे संबंधित घटनाओं, समस्याओं तथा नीतियों पर कार्य करते हैं। किसी भी देश में बच्चे उस देश की भावी पीढ़ी होने के नाते भविष्य के निर्धारक होते हैं। यदि बचपन से ही उनमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता उत्पन्न हो जाए तो मानवाधिकारों के हनन होने से जो समस्याएँ समाज में व्याप्त हो जाती हैं, उन पर काफ़ी हद तक अंकुश लगाया जा सकता है। एक व्यक्ति अपने अधिकारों का समुचित प्रयोग तभी कर सकता है, जब वह उनके प्रति जागरूक हो। प्रायः देखा गया है कि अभिभावक ही मानवाधिकारों की जानकारी समुचित रूप से नहीं रखते हैं। परिणामस्वरूप वे इनके हनन का शिकार तो होते ही हैं, साथ ही बच्चों में भी इनके हनन के प्रति विरोध की क्षमता का विकास नहीं हो पाता है। इस स्थिति में जब एक बच्चा विद्यालय में आता है तो यह विद्यालय या उससे जुड़े शिक्षकों का दायित्व हो जाता है कि वे अपने विद्यार्थियों में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता उत्पन्न करें। एक विद्यार्थी अपने शिक्षा संबंधी अधिकार का आनंद विद्यालय में रहकर ही प्राप्त कर सकता है। एक शिक्षक अपने शिक्षण में इस प्रकार की गतिविधियों का समावेश कर सकता है जो विद्यार्थियों में आपसी तालमेल, लोकतंत्र की भावना का विकास तथा मानवाधिकारों के विषय से उनका परिचय करा सकें। विद्यालयी परिवेश में बच्चे खेल-खेल में ही इन जानकारियों को प्राप्त कर इनके प्रति जागरूक हो सकते हैं। विद्यालय में विद्यार्थियों को मानवाधिकारों की जानकारी, उनकी समझ व जागरूकता तभी प्राप्त हो सकेगी जब उन्हें शिक्षित करने वाला शिक्षक इनके प्रति स्वयं जागरूक होगा। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता का अध्ययन विशेषकर भावी शिक्षकों में इनके प्रति जागरूकता, शोध का एक महत्वपूर्ण विषय है। एक प्रशिक्षित शिक्षक विद्यार्थियों को उनके दायित्व की विविधता के अनुरूप ज्ञान देकर इस विषय में उन्हें जागरूक कर सकता है। मानवाधिकार प्रत्येक व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। यदि समाज में शांति व समृद्धि बनाए रखनी है तो मानवाधिकारों को सुरक्षित रखना अत्यंत आवश्यक है। विद्यार्थी-शिक्षक भावी शिक्षकों के रूप में होते हैं; उन्हें भविष्य में उन बच्चों के साथ कार्य करना होता है जो आने वाले समय में नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के साथ ही अपने अधिकारों का उपभोग भी करेंगे और यह तभी संभव हो पाएगा जब उन्हें प्रारंभ से ही अपने अधिकारों की समुचित जानकारी होगी। अतः विद्यालय विशेषकर कक्षा-कक्ष एक ऐसा स्थान है जहाँ बच्चा अपने अधिकारों से व्यावहारिक रूप से प्रथम बार परिचित होता है। एक लोकतांत्रिक कक्षा का हिस्सा होने से उसे न केवल अपने अधिकारों की जानकारी मिलती है, अपितु उसमें दूसरों के प्रति अपने कर्तव्यों की समझ भी विकसित होती है।

© NCERT not to be republished

विद्यार्थियों में इस प्रकार की समझ को विकसित करने का उत्तरदायित्व एक शिक्षक के हाथ में होता है। इस संदर्भ में विद्यार्थी-शिक्षक का मानवाधिकारों के प्रति जागरूक होना एक स्वस्थ समाज की आवश्यकता है।

संबंधित साहित्य का अध्ययन

मानवाधिकारों की समझ व उनके प्रति जागरूकता से संबंधित साहित्य का पुनरावलोकन के अंतर्गत तिवारी (2002) ने माध्यमिक विद्यालयों से संबद्ध शिक्षिकाओं की मानवाधिकारों के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन किया। शोध का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों की स्थिति के प्रति शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षिकाओं की अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन करना था। निष्कर्षतः अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों की स्थिति के प्रति ग्रामीण व शहरी क्षेत्र की शिक्षिकाओं की अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया। पाण्डे (2005) ने विद्यालयी शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर कार्यरत शिक्षक-शिक्षिकाओं व विद्यार्थी-शिक्षकों में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता के अध्ययन हेतु स्वनिर्मित मानवाधिकार जागरूकता संबंधी प्रश्नावली का प्रयोग किया तथा परिणाम प्राप्त किए कि देश के प्राथमिक विद्यालयों की विभिन्न किताबों में समावेशित मूलभूत मानवाधिकारों के प्रत्ययों के विषय में, शिक्षकों में जागरूकता की कमी पाई गई तथा मानवाधिकार की शिक्षा को उपलब्ध कराने वाले समावेशित मॉडल शिक्षकों तथा विद्यार्थी-शिक्षकों को इस प्रत्यय के विषय में, समर्थ बनाने में पूर्णतः सफल नहीं पाए गए। कटौच (2012) ने "ह्यूमन राइट्स अवेयरनेस अमंग सेकंड्री टीचर्स ट्रेनीज़ ऑफ़ हिमाचल प्रदेश" विषय पर अध्ययन किया तथा निष्कर्ष में पाया कि जेंडर के आधार पर माध्यमिक विद्यार्थी-शिक्षकों में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता में सार्थक अंतर है तथा मानवाधिकार के प्रति जागरूकता में विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी-शिक्षकों का स्तर कला वर्ग के विद्यार्थी-शिक्षकों से अधिक है। अशरफ (2013) ने बी.एड. तथा डी.एल.एड. विद्यार्थी-शिक्षकों के मध्य मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता का अध्ययन किया। शोधोपरांत बी.एड. तथा डी.एल.एड. विद्यार्थी-शिक्षकों में, मानवाधिकार के प्रति जागरूकता का स्तर औसत पाया गया व पुरुष डी.एल.एड. विद्यार्थी-शिक्षकों में, महिला डी.एल.एड. विद्यार्थी-शिक्षकों की अपेक्षा अधिक जागरूकता पाई गई। कुमार पक्कीरीसामी तथा शिवकुमार (2004) ने बी.एड. विद्यार्थी-शिक्षकों के मध्य मानवाधिकार के प्रति जागरूकता विषय पर अध्ययन किया तथा परिणाम निकाला कि बी.एड. विद्यार्थी-शिक्षकों में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता का स्तर कम है। महिला बी.एड. विद्यार्थी-शिक्षकों में, पुरुष बी.एड. विद्यार्थी-शिक्षकों की अपेक्षा मानवाधिकार के प्रति अधिक जागरूकता है। मातलीवाला (2014) ने "ह्यूमन राइट्स अवेयरनेस अमंग बी.एड. स्टूडेंट्स" विषय पर शोध कार्य किया। निष्कर्षतः बी.एड. विद्यार्थी-शिक्षकों में, मानवाधिकार के प्रति जागरूकता का स्तर औसत से भी कम पाया गया।

पांडियन (2015) ने नागालैण्ड के उच्च माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों के मध्य मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता का अध्ययन किया। शोध के पश्चात् निष्कर्ष में पाया गया कि सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों में,

© NCERT not to be republished

निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों की अपेक्षा मानवाधिकारों के प्रति औसत जागरूकता है। सिंह, शोजी और हरजिन्दर (2015) ने "बी.एड. विद्यार्थी-शिक्षकों के मध्य मानवाधिकारों की जागरूकता का अध्ययन" विषय पर शोध कार्य किया तथा शोध में बी.एड. विद्यार्थी-शिक्षकों में, अंतर्राष्ट्रीय अधिकारों के प्रति जागरूकता में कमी पाई गई। शशिकला तथा फ्रांसिस्को (2016) ने "ए ह्यूमन राइट्स अवेयरनेस अमंग फ़ीमेल्स बी.एड. स्टूडेंट्स" विषय पर अध्ययन किया। अध्ययन के पश्चात् निष्कर्ष निकाला कि कला वर्ग की महिला बी.एड. विद्यार्थी-शिक्षकों में, विज्ञान वर्ग की महिला बी.एड. विद्यार्थी-शिक्षकों की अपेक्षा मानवाधिकारों के प्रति अधिक जागरूकता है।

उक्त सभी शोध कार्यों का पुनरावलोकन करने से ज्ञात होता है कि इन शोधों में मानवाधिकारों के विभिन्न पहलुओं पर दृष्टिपात किया गया है। पूर्ववर्ती शोधों में विद्यार्थी, शिक्षक तथा विद्यार्थी-शिक्षकों से संबंधित न्यादर्शों का चयन किया गया। लेकिन कोई भी शोध कुमाऊँ विश्वविद्यालय से संबद्ध बी.एड. कॉलेजों/परिसरों में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता के विषय में नहीं किया गया। अतः इस विषय पर शोध कार्य कर यह शोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

शोध अध्ययन के उद्देश्य

इस शोध अध्ययन के निम्न उद्देश्य थे —

- विद्यार्थी-शिक्षकों के मध्य जेंडर के आधार पर मानवाधिकार के प्रति जागरूकता की तुलना करना।
- विद्यार्थी-शिक्षकों के मध्य निवास स्थान के आधार पर मानवाधिकार के प्रति जागरूकता की तुलना करना।
- विद्यार्थी-शिक्षकों के मध्य परिवार के स्वरूप के आधार पर मानवाधिकार के प्रति जागरूकता की तुलना करना।

शोध अध्ययन की परिकल्पनाएँ

इस शोध अध्ययन की निम्न परिकल्पनाएँ थीं —

- विद्यार्थी-शिक्षकों के मध्य जेंडर के आधार पर मानवाधिकार के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
- विद्यार्थी-शिक्षकों के मध्य निवास स्थान के आधार पर मानवाधिकार के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
- विद्यार्थी-शिक्षकों के मध्य परिवार के स्वरूप के आधार पर मानवाधिकार के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

शोध अध्ययन कार्य-विधि

शोध अध्ययन हेतु वर्णनात्मक अनुसंधान की सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया। इस अध्ययन हेतु कुमाऊँ विश्वविद्यालय नैनीताल से संबद्ध स्वामी विवेकानन्द राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, लोहाघाट, माँ पूर्णागिरी कॉलेज ऑफ़ एजुकेशन, चम्पावत तथा सोबन सिंह जीना, कुमाऊँ विश्वविद्यालय परिसर, अल्मोड़ा के शिक्षा संकाय में, वर्ष 2018–19 में संचालित बी.एड. कक्षाओं में प्रशिक्षणरत 390 महिला व पुरुष विद्यार्थी-शिक्षकों में से 130 महिला व पुरुष विद्यार्थी-शिक्षकों का चयन साधारण यादृच्छिक प्रतिचयन विधि द्वारा किया गया।

शोध अध्ययन हेतु उपकरण

इस अध्ययन में विशाल सूद तथा आरती आनन्द (2014) द्वारा निर्मित व प्रमाणीकृत मानवाधिकार

© NCERT not to be republished

जागरूकता परीक्षण का प्रयोग आँकड़ों को एकत्रित करने के लिए किया गया। यह परीक्षण मानवाधिकारों से संबंधित तीन प्रमुख आयामों, जैसे—मानवाधिकार की विषय-वस्तु से संबंधित जानकारी (नॉलेज अबाउट ह्यूमन राइटस डॉक्यूमेंट्स), मानवाधिकार से संबंधित प्रत्ययों की जानकारी तथा उनके विषय में समझ (नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट ह्यूमन राइट्स कॉन्सेप्ट्स) तथा मानवाधिकारों के हनन से संबंधित परिस्थितियों में समझ (अंडरस्टैंडिंग अबाउट सिचुएशंस इन्वोल्विंग ह्यूमन राइट्स) पर आधारित है। परीक्षण में कुल 50 कथन हैं। प्रत्येक कथन के सामने तीन विकल्प—सत्य, अनिश्चित तथा असत्य दिए गए हैं। परीक्षण में प्राप्त अंकों के आधार पर विद्यार्थी-शिक्षकों की मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता का निर्धारण किया गया। प्राप्त आँकड़ों की सार्थकता स्पष्ट करने हेतु मध्यमान, मानक विचलन तथा t-परीक्षण का प्रयोग किया गया।

आँकड़ों का विश्लेषण तथा विवेचना

अध्ययन से संबंधित आँकड़ों का विश्लेषण तालिका 3, 4 तथा 5 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 3 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि विद्यार्थी-शिक्षकों में, जेंडर के आधार पर मानवाधिकार के प्रति जागरूकता के संदर्भ में पुरुष विद्यार्थी-शिक्षकों की मानवाधिकार के प्रति जागरूकता का मध्यमान व मानक विचलन क्रमशः 72.85 व 11.180 है तथा महिला विद्यार्थी-शिक्षकों का मानवाधिकार के प्रति जागरूकता का मध्यमान व मानक विचलन क्रमशः 71.68 व 7.669 है। जेंडर के आधार पर विद्यार्थी-शिक्षकों की मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता की तुलना करने हेतु t-परीक्षण की गणना की गई, जिसके अनुसार t-मान 0.536 पाया गया, जो तालिका में स्वतंत्रता अंश 128 पर 0.05 विश्वास स्तर पर निर्धारित t-मान 1.98 से कम है। अतः जेंडर के आधार पर दोनों समूहों में 0.05 विश्वास स्तर पर कोई

तालिका 3 — विद्यार्थी-शिक्षक के मध्य जेंडर के आधार पर मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता की तुलना का विवरण

क्र.सं.	जेंडर	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	t-मान	df मान	सार्थकता स्तर
1.	पुरुष विद्यार्थी-शिक्षक	35	72.85	11.180	0.536	128	0.05 पर स्वीकृत
2.	महिला विद्यार्थी-शिक्षक	95	71.68	7.669			

तालिका 4 — विद्यार्थी-शिक्षक के मध्य निवास स्थान के आधार पर मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता के तुलनात्मक अध्ययन का विवरण

क्र.सं.	क्षेत्र का प्रकार	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	t-मान	df मान	सार्थकता स्तर
1.	ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले विद्यार्थी-शिक्षक	69	71.34	10.21	0.932	128	0.05 पर स्वीकृत
2.	शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले विद्यार्थी-शिक्षक	61	72.73	6.68			

© NCERT not to be republished

सार्थक अंतर नहीं है। अतः शून्य परिकल्पना संख्या 1 "विद्यार्थी-शिक्षक के मध्य जेंडर के आधार पर मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है", 0.05 सार्थकता स्तर पर स्वीकृत की जाती है।

तालिका 4 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि विद्यार्थी-शिक्षकों के ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में निवास करने के आधार पर मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता के संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले विद्यार्थी-शिक्षकों की मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता का मध्यमान व मानक विचलन क्रमशः 71.34 व 10.21 तथा शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले विद्यार्थी-शिक्षकों की मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता का मध्यमान व मानक विचलन क्रमशः 72.73 व 6.68 है। निवास स्थान के आधार पर विद्यार्थी-शिक्षकों की मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता की तुलना करने हेतु t-परीक्षण की गणना की गई। जिसके आधार पर t-मान 0.932 पाया गया जो तालिका में स्वतंत्रता अंश 128 पर 0.05 सार्थकता स्तर पर निर्धारित t-मान 1.98 से कम है। अतः निवास स्थान के आधार पर दोनों समूहों (ग्रामीण क्षेत्र व शहरी क्षेत्र) में 0.05 सार्थकता स्तर पर कोई सार्थक अंतर नहीं है। अतः शून्य परिकल्पना संख्या (2) "विद्यार्थी-शिक्षकों के मध्य निवास स्थान के आधार पर मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है", 0.05 सार्थकता स्तर पर स्वीकृत की जाती है।

तालिका 5 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि एकल व संयुक्त पारिवारिक पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थी-शिक्षकों की मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता के संदर्भ में एकल परिवार वाले विद्यार्थी-शिक्षकों की मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता का मध्यमान व मानक विचलन क्रमशः 72.26 व 7.44 तथा संयुक्त परिवार वाले विद्यार्थी-शिक्षकों की मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता का मध्यमान व मानक विचलन क्रमशः 71.79 व 9.66 है। उपरोक्त दोनों समूहों के मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता की तुलना करने हेतु t-परीक्षण की गणना की गई। परीक्षणोपरांत t-मान 0.315 पाया गया। जो तालिका में 128 स्वतंत्रता अंश पर 0.05 सार्थकता स्तर पर निर्धारित t-मान 1.98 से कम है। अतः विद्यार्थी-शिक्षकों के मध्य परिवार के स्वरूप के आधार पर मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता में 0.05 सार्थकता स्तर पर कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया। अतः शून्य परिकल्पना संख्या (3) "विद्यार्थी-शिक्षकों के मध्य परिवार के स्वरूप के आधार पर मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है", 0.05 सार्थकता स्तर पर स्वीकृत की जाती है।

निष्कर्ष

आँकड़ों के विश्लेषण से निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए —

तालिका 5— विद्यार्थी-शिक्षक के मध्य परिवार के स्वरूप के आधार पर मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक विवरण

क्र. सं.	परिवार का स्वरूप	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	t-मान	df मान	सार्थकता स्तर
1.	एकल परिवार वाले विद्यार्थी-शिक्षक	57	72.26	7.44	0.315	128	0.05 पर स्वीकृत
2.	संयुक्त परिवार वाले विद्यार्थी-शिक्षक	73	71.79	9.66			

© NCERT not to be republished

- पुरुष तथा महिला विद्यार्थी-शिक्षकों, ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले विद्यार्थी-शिक्षकों तथा एकल व संयुक्त परिवार में रहने वाले विद्यार्थी-शिक्षकों के मध्य मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता के स्तर में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया। पुरुष व महिला विद्यार्थी-शिक्षक दोनों ही अपने कार्यों को पूर्ण निष्ठा के साथ करते हैं। परिवार के लिए आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना, बच्चों की शिक्षा व परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखना आदि कार्य दोनों मिलकर करते हैं, जिस कारण वे अपने अधिकारों के प्रति सजग रहते हैं। अपनी ज़िम्मेदारियों के चलते वे अपने कर्तव्यों व अधिकारों, दोनों का निर्वहन अच्छी तरह कर पाते हैं।
- शहरी क्षेत्रों में सरकार द्वारा विभिन्न सामाजिक संस्थाओं द्वारा समय-समय पर नुक्कड़ नाटकों व विभिन्न शिविरों द्वारा मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता के विषय में विद्यालयों, कॉलेजों आदि में जानकारी दी जाती है। शहर में निवास करने वाले शिक्षकों को आधुनिक समाज मिलने के कारण उनकी उस विषय में सक्रियता देखी जा सकती है। खुला समाज मिलने के कारण वे प्रत्येक कार्यों में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन समय-समय पर किया जाता है जिससे वे अपने अधिकारों के प्रति सचेत हुए हैं।
- एकल परिवार में रहने वाले पुरुष तथा महिला विद्यार्थी-शिक्षकों को बचपन से ही अपने अधिकारों की माँग कर, अपने कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है। वहीं दूसरी ओर संयुक्त पारिवारिक पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थी-शिक्षक परिवार में अपनी भूमिका का निर्वहन भली-भाँति कर पाते हैं। उन्हें परिवार के बड़े सदस्यों द्वारा सही दिशा-निर्देशन प्राप्त होता है तथा वे अपने अधिकारों का इस प्रकार प्रयोग करते हैं जिससे परिवार के अन्य सदस्यों के अधिकारों का हनन न हो सके।

सुझाव

शोध अध्ययन के परिणामस्वरूप विद्यार्थी-शिक्षकों के मध्य उनके जेंडर, निवास स्थान व परिवार के स्वरूप के आधार पर मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता का स्तर औसत रूप से सामान्य पाया गया। अतः मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता के विषय में और प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। शिक्षण-प्रशिक्षण कार्यक्रमों में मानवाधिकारों से संबंधित मुद्दों का जोड़ा जाना ही पर्याप्त नहीं है, अपितु इस संदर्भ में समकालीन परिस्थितियों में उन मुद्दों के प्रति यथोचित संवेदना उत्पन्न की जा सके, इसके लिए समय-समय पर कार्यशालाओं, वाद-विवाद, भाषण प्रतियोगिताओं व सेमिनारों का आयोजन प्रशिक्षण स्थल पर किया जाना भी आवश्यक है। प्रशिक्षण काल के दौरान विद्यार्थी-शिक्षकों द्वारा निर्मित की जाने वाली पाठ-योजनाओं में विशेषकर पर्यावरण अध्ययन, हिंदी व सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों में मानवाधिकारों से संबंधित मुद्दों को स्थान दिया जाना आवश्यक है। इन मुद्दों को शिक्षण प्रक्रिया में शामिल किया जाना तथा शिक्षण प्रक्रिया का अहम हिस्सा बनाया जाना प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए।

भारतीय संविधान में वर्णित मानवाधिकारों से संबंधित अनुच्छेदों में नागरिकों के कर्तव्य व

© NCERT not to be republished

दायित्व का वर्णन कर उनकी सूचना प्राप्त करना ही एकमात्र उद्देश्य न होकर उनसे जुड़े हुए मूल्यों का विकास भी विद्यार्थी-शिक्षकों में हो, इसके लिए शिक्षक शिक्षा पाठ्यचर्या में व्यापक गतिविधियों यथा मानवाधिकारों से संबंधित दस्तावेज़ों की जानकारी, मानवाधिकारों के प्रत्यय व सिद्धांतों की जानकारी व समझ तथा मानवाधिकारों के हनन से संबंधित परिस्थितियों की समझ पर आधारित गतिविधियों आदि का समावेशन किया जा सकता है। मानवाधिकारों से संबंधित प्रकरणों पर आधारित क्रियात्मक शोधों को पाठ्यक्रम में समावेशित किया जाना चाहिए। विद्यार्थी-शिक्षकों को मानवाधिकारों से संबंधित आयोजित होने वाले कार्यक्रमों यथा— सेमिनारों, कार्यशालाओं, भाषण व वाद-विवाद प्रतियोगिताओं में अधिक-से-अधिक भाग लेने की आवश्यकता है। विद्यार्थी-शिक्षकों को अपने प्रशिक्षण काल के दौरान निर्मित की जाने वाली पाठ्य योजनाओं में, विशेषकर पर्यावरण अध्ययन, हिंदी तथा सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों में, मानवाधिकारों के प्रति मुद्दों को भी शिक्षण-प्रक्रिया में शामिल करने की आवश्यकता है।

शैक्षिक निहितार्थ

इस शोध पत्र में बी.एड. विद्यार्थी-शिक्षकों की मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता का अध्ययन किया गया है। शोध अध्ययन के निष्कर्षों से यह संतोषजनक परिणाम सामने आया कि मानवाधिकार जागरूकता के स्तर में पुरुष व महिला विद्यार्थी-शिक्षकों में अंतर नहीं है अर्थात् उनके द्वारा प्राप्त ज्ञान कोई विभेद पैदा नहीं करता है। यह कहा जा सकता है कि वे समान स्तर का संप्रेषण विद्यालयों में भी कर सकेंगे तथा भविष्य के विद्यार्थियों में पर्याप्त मानवाधिकार जागरूकता पैदा कर पाएँगे एवं स्वयं भी विद्यालयों का स्वतंत्र एवं मानवाधिकार मूल्यों के पालन करने वाला संस्थान बनाने में भूमिका का उचित निर्वहन कर सकेंगे। यह भी संतोषजनक परिणाम है कि ग्रामीण व शहरी पृष्ठभूमि के विद्यार्थी-शिक्षकों तथा संयुक्त एकल परिवार से संबंध रखने वाले विद्यार्थी-शिक्षकों के मानवाधिकार जागरूकता में समानता पाई गई अर्थात् मानवाधिकार मूल्यों के प्रति जागरूकता की दृष्टि को ध्यान में रखकर यदि शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाता है तो ऐसी दशा में बिना किसी विशेष वर्गीय विभाजन के जानकारियाँ प्रदान की जा सकती हैं। यह एक सुखद परिणाम है कि जागरूकता के स्तर पर सभी तीनों वर्गों— पुरुष/महिला, ग्रामीण/शहरी तथा संयुक्त/एकल विद्यार्थी-शिक्षकों में समानता पाई गई।

शिक्षक शिक्षा की पाठ्यचर्या का निर्माण करते समय उक्त परिणामों की सहायता ली जा सकती है। जिससे मानवाधिकार जागरूकता के प्रति विद्यार्थी-शिक्षकों के जागरूकता स्तर को अभिसिंचित किया जा सके। विभिन्न जेंडर, क्षेत्रों व पारिवारिक पृष्ठभूमि में रहने वाले पुरुष तथा महिला विद्यार्थी-शिक्षकों में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता के अध्ययन से उनके इस विषय में समान स्तर का ज्ञान पाया गया है। इससे भारतीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर प्रशिक्षण कार्यक्रमों में, मानवाधिकारों से संबंधित प्रत्ययों को विशेषकर कमज़ोर समूहों व वर्गों (महिलाएँ, बच्चे, मज़दूर वर्ग, किसी भी प्रकार की अक्षमता से युक्त समूह आदि) को केंद्र बिंदु मानकर इनका समावेशन व इनसे जुड़े हुए विभिन्न पाठ्येत्तर क्रियाकलापों को

© NCERT not to be republished

भी निर्धारित करने में सहायता प्राप्त हो सकती है। साथ ही साथ ग्रामीण स्तर पर विभिन्न विधिक शिविरों, नुक्कड़ नाटकों द्वारा यथोचित जागरूकता उत्पन्न की जा सकती है। शिक्षक शिक्षा का पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो बच्चों के सामाजिक, सांस्कृतिक व राजनैतिक संदर्भों को समझने में सहायता प्रदान कर सके। शिक्षा आयोग (1964–66) के अनुसार प्रत्येक शिक्षक चाहे वह किसी भी विषय का हो अपने विषय के शिक्षण के दौरान उसे विद्यार्थियों में मूलभूत मूल्यों, जैसे— अखण्डता व सामाजिक ज़िम्मेदारियों का विकास करना चाहिए। विद्यालयी स्तर पर पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो किताबें विद्यालयों द्वारा चलाई जा रही हैं, उनमें यथासंभव मानवाधिकारों से संबंधित प्रत्ययों का वर्णन किया गया है।

विद्यालयी स्तर पर चलाई जा रही विभिन्न विषयों की पाठ्यपुस्तकों में, जैसे— नागरिक शास्त्र विषय में नागरिकों के कर्तव्य तथा अधिकार, इतिहास विषय में लोकतंत्र की विचारधारा के विकास, संयुक्त राष्ट्र का निर्माण तथा सामाजिक सुधार, भूगोल विषय में विद्यार्थी तथा उसके अपने देश से संबंधित ज्ञान, पर्यावरण व जीवन की दशाओं की जानकारी, देशों की आपसी आत्मनिर्भरता, अर्थशास्त्र विषय में सामाजिक न्याय तथा आर्थिक विकास की धारणा, विज्ञान विषय में उसके प्रयोग तथा प्रयोग न करने के मत के प्रति संवेदनशीलता, साफ़ व स्वच्छ पर्यावरण के प्रति समझ तथा चेतना, सांस्कृतिक कारकों तथा गुणों के वितरण का अध्ययन, गणित विषय में मानवाधिकारों के हनन से संबंधित आँकड़े तथा अखबारों में छपे आँकड़ों की विश्लेषणात्मक विवेचना, हिंदी विषय में विद्यार्थियों के मध्य आपसी बातचीत तथा तत्कालीन सामाजिक मुद्दों पर वाद-विवाद और अनेक ऐसे प्रश्न जो मानवाधिकारों के प्रति संवेदना व जागरूकता उत्पन्न करते हों आदि को समावेशित किया गया है।

अतः आवश्यक है कि भावी शिक्षकों को उनके प्रशिक्षण काल में ही मानवाधिकारों की जानकारी प्राप्त हो जाए, जिससे वे भविष्य में पाठ्यपुस्तकों में वर्णित मानवाधिकारों से संबंधित मुद्दों को विद्यार्थियों तक पहुँचाकर, उन्हें इस विषय में संवेदनशील बनाकर एक कुशल नागरिक का निर्माण कर सकें तथा एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो सके। यदि एक शिक्षक अपने विषय के माध्यम से विद्यार्थियों में मानवाधिकारों से संबंधित मूल्यों का विकास करता है तो वह अप्रत्यक्ष रूप से इन मूल्यों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित करने के साथ ही विद्यार्थियों के व्यवहार में भी परिवर्तन लाता है।

संदर्भ

अग्रवाल, एच.ओ. 2014. *इंटरनेशनल लॉ एंड ह्यूमन राइट्स* (बीसवाँ संस्करण). सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशंस, इलाहाबाद.

अशरफ, शबाना. 2013. ए स्टडी ऑफ़ ह्यूमन राइट्स अवेयरनेस अमंग प्रोस्पेक्टिव टीचर्स. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ साइंटिफ़िक रिसर्च*. वॉल्यूम 2, इश्यू 7. 14 सितंबर, 2019 को https://www.worldwidejournals.com/international-journal-of-scientific-research-(IJSR)/article/a-study-of-human-rights-awareness-among-prospective-teachers/MTQ1MA==/?is=1 से लिया गया है.

© NCERT not to be republished

कटौच, एस. के. 2012. ह्यूमन राइट्स अवेयरनेस अमंग सेकंडरी टीचर्स ट्रेनीज़ ऑफ़ हिमाचल प्रदेश. *हिमालयन जर्नल ऑफ़ कंटेम्परेरी रिसर्च*. वॉल्यूम 1, इश्यू 2. हिमाचल प्रदेश.

कुमार, वी.पी. पक्किरीसामी एम. और शिवकुमार पी. 2014. ए स्टडी ऑन द अवेयरनेस ऑफ़ ह्यूमन राइट्स अमंग बी.एड. स्टूडेंट टीचर्स. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ करेंट अफ़ेयर्स*. वॉल्यूम 6, इश्यू 1, पृ. 4690–4693.

तिवारी, सी. 2002. माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्ध अध्यापिकाओं की मानवाधिकार के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन. *भारतीय शिक्षा शोध पत्रिका*. वॉल्यूम 21, इश्यू 1. लखनऊ.

नसीमा, सी. 2014. *ह्यूमन राइट्स एजुकेशन*. कनिष्क पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, दिल्ली.

पाण्डियन, टी. सौनदरा. 2015. अवेयरनेस ऑफ़ ह्यूमन राइट्स अमंग द हाईयर सेकंडरी स्टूडेंट्स इन नागालैण्ड. ए पीएच.डी. थीसिस. *शोध गंगा— ए रिज़र्वियर ऑफ़ इण्डियन थीसिस*. डिपार्टमेंट ऑफ़ इंग्लिश, इन्फ्लीबनेट नागालैण्ड यूनिवर्सिटी.

पाण्डे, एस. 2005. ह्यूमन राइट्स एजुकेशन इन स्कूल्स —द इंडियन एक्सपीरियंस. *ह्यूमन राइट्स एजुकेशन इन एशियन स्कूल्स*. वॉल्यूम 8.

मातलीवाला, के. 2014. *ह्यूमन राइट्स अवेयरनेस अमंग बी.एड. स्टूडेंट्स.* 17 अक्तूबर, 2018 को _https://www.academia.edu/7710766/HUMAN_RIGHTS_AWARENESS_AMONG_B.ED._STUDENTS से लिया गया है.

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्. 1988. *नेशनल करीकुलम फ़ॉर एलीमेंट्री एंड सेकंडरी एजुकेशन* (पुनःमुद्रित). रा.शै.अ.प्र.प., नयी दिल्ली.

——. 1978. *करीकुलम फ्रेमवर्क फ़ॉर टीचर एजुकेशन*. रा.शै.अ.प्र.प., नयी दिल्ली.

——. 2009. *नेशनल करीकुलम फ़ॉर एलीमेन्ट्री एंड सेकंडरी एजुकेशन*. रा.शै.अ.प्र.प., नयी दिल्ली.

——. 2014. *पाठ्यचर्या की रूपरेखा— दो वर्षीय बी.एड. कार्यक्रम*. राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद्. रा.शै.अ.प्र.प., नयी दिल्ली.

शशिकला, वी. और एस. फ्रांसिस्को. 2016. ह्यूमन राइट्स अवेयरनेस अमंग फ़िमेल प्रोस्पेक्टिव टीचर्स. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ टीचर एजुकेशन रिसर्च*. वॉल्यूम 5, इश्यू 3–8.

सिंह, शोजी और हरजिन्दर सिंह. 2015. ह्यूमन राइट्स अवेयरनेस अमंग बी.एड. स्टूडेंट्स. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ एजुकेशन*. वॉल्यूम 4.

सूद, विशाल और आरती आनन्द. 2014. *कन्ज़्यूमेबल बुकलेट ऑफ़ एच.आर.ए.टी. — एस.वी.ए.ए.* हिंदी वर्जन. नेशनल साइकोलोजीकल कॉरपोरेशन, आगरा.

© NCERT not to be republished